



न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/ 2015

पुनरीक्षण

निगरानी 1326-II-15

श्री मुकेश भार्गव को
द्वारा आज दि 4.6.15 को
प्रस्तुत

चलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कमला सिंह पत्नी स्व. भारतेन्दु सिंह
2. भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री भारतेन्दु सिंह
3. राघवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भारतेन्दु सिंह
4. गौरी सिंह पुत्री स्व. श्री भारतेन्दु सिंह

समस्त निवासीगण खैरहा तहसील सौहागपुर
जिला शहडौल (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

न्यायालय अपर कमिश्नर शहडौल संभाग, शहडौल म.प्र. द्वारा
प्र.कं. 03/ब-90(3)/2008-09 में पारित आदेश दिनांक
24.4.2015 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त योग्य है।
- 2- यह कि, उपरोक्त उन्मान का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होकर चलता रहा है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.3.2010 को सह

R 1326-II 15-

25-8-15

गोपबंद की ओर ले
की बुद्धि का आरंभ द्वारा सिपकेन
किंवा कि प्रकृत के आगे चलाया
नहीं पाए कि अनापेक्षित शान्त
की ओर ले पंजल अद्यपि का
दालिज बुद्धि भीकलाप उपरि

गोपबंद की ओर ले सिपकेन
पर प्रकृत में प्रकृत के इसी
स्था पर समाप्त किंवा अनापेक्षित
प्रकृत का प्रकृत रिकार्ड ले।

25/8/15

पलाग नदी
DS

25/8/15
अभिजित राव
पेठकर